

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या- / नो0एच0/XXXVI-A-1/2023-03 नो0एच0/2002 T.C-I
देहरादून, दिनांक 14 सितम्बर, 2023

अधिसूचना नियुक्ति

श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री प्रेम सिंह अधिकारी, अधिवक्ता को दिनांक 14-09-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय चम्पावत में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री प्रेम सिंह अधिकारी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

(नरेन्द्र दत्त)

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी

संख्या- 0501/-नो0एच0/XXXVI-A-1/2023-03 नो0एच0/2002 T.C-I तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला न्यायाधीश, चम्पावत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया नोटरी प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. श्री प्रेम सिंह अधिकारी, अधिवक्ता, गौरल मार्ग, मुख्य बाजार, पोस्ट, तहसील एवं जिला चम्पावत को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर नमूने की तीन प्रतियां जिला न्यायाधीश, चम्पावत के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड रूडकी को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (20 प्रतियां)।
5. एन0आई0सी0/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
14/9/2023
(रजनी शुक्ला)
अपर सचिव